वित्तीय स्वीकृति

संख्या-38/2016/1200/52-3-16-बजट(17)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□:दिनांक 16□□□□, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को □□□ □□□□/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण □□□□/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि 0 10,00,000/-(रू0 दस लाख मात्र) के सापेक्ष रु0 05,00,000/-(रू0 □□□ लाख मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□

(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हों अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यह वित्तीय स्वाकृतियाँ जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा जिलेवार आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

(4) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा -समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय -व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय - 06- अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान -20-सहायता अनुदान -सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी 1-746/दस -2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-1200(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3-मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग , लखनऊ ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
5-रजिस्ट्रार , उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन , लखनऊ ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत : इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7-वित्त (आय व्ययक) □□□□-1

8- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 □□ □ल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।